

208

60 170

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 05]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

विषय : 2000 रु. या इससे कम मूल्य के डेबिट कार्ड /भीम यूपीआई/एईपीएस लेनदेनों पी एमडीआर प्रभार में छूट प्रदान करना।

सं. 6(19)/2017-डीपीडी-1:—

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल अवसरचना, डिजिटल शासन और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवा कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान इको सिस्टम का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अनिवार्य अंग है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने तथा उन सभी लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का समावेशन करने की क्षमता है जो बचे रह गए हैं।
- 1 फरवरी, 2017 को वित्त मंत्री ने अपनी बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ के डिजिटल भुगतान लेनदेनों के लक्ष्य की उद्घोषणा की थी।
- डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में, व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां लगभग 90% व्यापारी किराने की छोटी दुकानों, स्थानीय आउटलेट इत्यादि के रूप में असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विक्रेता, ऑटो/टैक्सी ड्राइवर इत्यादि हैं, जो असंगठित व्यापारियों का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से प्रत्येक व्यापारी की लेनदेन राशि आमतौर पर छोटी होती है।
- जब डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे भुगतान इकोसिस्टम में कोई भुगतान पीओएस मशीन या क्यूआर "स्कैन और भुगतान" या ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से व्यापारी बिक्री बिन्दु (पीओएस) पर किया जाता है तो व्यापारिक छूट दर (एमडीआर), व्यापारी द्वारा उसके बैंक (अधिग्रहणकर्ता) को देय होती है।

5. आरबीआई ने 6 दिसम्बर, 2017 को डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए लागू एमडीआर पुनः संशोधित करते हुए एक निदेश जारी किया है जो 01.01.2018 से प्रभावकारी होगा जिसमें लेनदेनों के लिए व्यापारी श्रेणीवार विशिष्ट एमडीआर दरें प्रस्तावित की गई हैं।
6. सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोटे लेनदेन जो 2000 रुपए या इससे कम मूल्य के हैं, पर एमडीआर शुल्क वापस किया जाएगा ताकि ऐसे डिजिटल भुगतान लेनदेनों को बढ़ावा दिया जा सके। व्यापारी के लिए ऐसे लेनदेनों पर एमडीआर प्रभावकारी रूप से शून्य हो जाएगा और अतः वे नकद लेनदेन के बराबर हो जाएंगे। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-
- i. 1 जनवरी, 2018 से 2000 रुपए या इससे कम मूल्य वाले लेनदेनों पर डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदेनों पर लागू एमडीआर, दो वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और ऐसे अधिग्रहणकर्ता बैंकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ताकि ऐसे लेनदेनों के संबंध में व्यापारियों को कोई एमडीआर न देना पड़े। तदनुसार, इस योजना के अंतर्गत बैंक सभी पात्र लेनदेनों के लिए व्यापारियों से कोई एमडीआर शुल्क वसूल नहीं करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एमडीआर को कारण बताकर ग्राहकों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - ii. 2000 रुपये या इससे कम मूल्य वाले लेनदेनों के मामले में कोई एमडीआर लागू नहीं होगा। तथापि, 2000 रुपए से अधिक के लेनदेनों पर, एमडीआर पूरे लेनदेन मूल्य पर लागू होगा। उदाहरण के तौर पर, 1800 रुपए मूल्य के लेनदेन के मामले में कोई एमडीआर लागू नहीं होगा और 2300 रुपए के लेनदेन के संबंध में, एमडीआर पूरे 2300 रुपए के लेनदेन पर लागू होगा।
 - iii. प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई के प्रासंगिक अनुदेशानुसार, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों को सम्मिलित करने वाले व्यापारियों के साथ कोई "बाध्य" करारनामा नहीं होना चाहिए।
 - iv. दिनांक 6.12.2017 के आरबीआई के निदेशानुसार करारनामों में यह खंड सम्मिलित होना चाहिए कि डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे के जरिए भुगतानों को स्वीकृत करते समय व्यापारियों द्वारा एमडीआर शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।
 - v. प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता बैंक को निर्धारित किए जाने वाले प्रारूप में संबंधित प्रतिपूर्ति दावे को प्रस्तुत करना होगा।
 - vi. ऐसे दावे के साथ यह प्रमाणपत्र लगाना होगा कि जारीकर्ता बैंक और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर पर बकाया एमडीआर प्रभार के शेष का पूर्णतः भुगतान कर दिया गया है और अधिग्रहणकर्ता बैंक के शेष को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर लिया गया है।
 - vii. प्रत्येक तिमाही के लिए अधिग्रहणकर्ता बैंक, डेबिट कार्ड/ भीम यूपीआई/आधार पे लेनदेनों (ऑन-यूएस और ऑफ़ यूएस लेनदेनों का अलग-अलग प्रदर्शन करने वाले) की मात्रा और मूल्य संबंधी अपने मासिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
 - viii. दावे के साथ-साथ अधिग्रहणकर्ता बैंक अपने लेखापरीक्षक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांचे जा रहे दावों के संबंध में एमडीआर का शुल्क न तो व्यापारी द्वारा उपभोक्ता से लिया गया है और न ही बैंक द्वारा व्यापारी से यथा लागू कम मूल्य के लेनदेन के लिए लिया गया है।
 - ix. यह योजना भारत में प्रचालन करने वाले बैंकों पर तथा भारत में किए गए लेनदेनों पर लागू है।
 - x. दिनांक 01.01.2018 से अधिग्राहक बैंकों को एमडीआर की पूर्तिपूर्ति संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए स्थापित समिति ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अग्रणी अधिग्राहक बैंकों से प्राप्त इनपुटों का परीक्षण किया है और दिनांक 1.1.2018 से एक तिमाही के लिए कम मूल्य के ऐसे लेनदेनों पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में 2000 रुपये अथवा इससे कम मूल्य के कुल डेबिट कार्ड लेनदेनों के मूल्य के 0.40% कैप का सुझाव दिया है। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि प्रतिपूर्ति के लिए एक विस्तृत मलाहकार प्रक्रिया भी की जा सकती है।
 - xi. अतः दिनांक 01.01.2018 से शुरू होने वाली 1 तिमाही के लिए अधिग्राहक बैंकों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति पर कैप होगा जो 2000 रुपये या इससे कम के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदेनों के कुल मूल्य के 0.40% पर होगा।

- xii. सलाहकार प्रक्रिया जिसमें आरबीआई, आईबीए और बैंक शामिल हैं के माध्यम से ऐसे कम मूल्य वाले लेनदेनों के संबंध में प्रतिपूर्ति तंत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद तिमाही आधार पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति हेतु अधिग्राहक बैंकों के लिए प्रक्रिया तैयार की जाएगी तथा इसके विषय में संबंधित सभी को जानकारी दी जाएगी।
7. बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2018 से कम मूल्य के लेनदेनों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति की इस नई योजना में परिवर्तन निर्विघ्न रूप से किया जाए।

गोपालकृष्णन एस. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

Subject : Subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or equal to Rs. 2000/-.

No. 6(19)/2017-DPD-1.—

- 1) The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of digital payments ecosystem is an essential aspect of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy and extend inclusion of financial services to all those who remain excluded.
- 2) Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced a target of 2,500 crore digital payment transactions for FY. 2017-18.
- 3) In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in a country like India where nearly 90% of merchants are from the unorganized sector in the form of small grocery stores, local outlets, etc. Besides, there are vendors, auto/taxi drivers etc., who constitute a large share of unorganized merchants. The transaction amount at each of these merchants is generally small.
- 4) In the Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay payment eco system, when any payment is made at a merchant Point of Sale (POS) through a POS machine or QR "scan & pay" or online mode of payment, Merchant Discount rate (MDR) charge is payable by the merchant to his bank (Acquirer). A portion of this is shared by the acquirer bank with the card issuing bank and the card network operator.
- 5) RBI has issued a directive on 6th December, 2017 revising MDR applicable for debit card transactions which will be effective from 01.01.2018 wherein merchant category wise differential MDR rates have been proposed for transactions.
- 6) It has been decided by the Government to reimburse the MDR charges on small transactions which are less than or equal to Rs. 2000/- in value so that such digital payment transactions are promoted. The MDR on such transactions for the merchant will effectively become zero and hence they will come on par with cash transactions. The salient features of the scheme are as follows:-
 - i) MDR applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to Rs. 2000/- in value will be borne by Government for a period of two years with effect from 1st January, 2018 by reimbursement of the same to the acquirer banks so that no MDR is payable by the merchant in respect of such transactions. Accordingly, the banks shall not charge any MDR from merchants for all eligible transactions under this scheme and consequently the consumers will not be overcharged citing MDR as a reason.
 - ii) No MDR will be applicable in case of transaction value less than or equal to Rs. 2000/-. However, for transaction value above Rs. 2000/-, MDR would be applicable on the entire transaction value. For example, no MDR will be applicable in case of a transaction value of Rs.1800 and in respect of a transaction of Rs. 2300/-, MDR would be applicable on the entire transaction value of Rs. 2300/-.

- iii) Each acquirer bank has to ensure that in accordance with the relevant RBI instructions, there should be no "bundled" agreement with the merchants covering both debit cards & credit cards.
- iv) In line with the RBI instructions dated 6.12.2017, the agreements should include a clause that MDR charges should not be passed on by the merchants to the customers while accepting payments through debit cards/BHIM UPI/Aadhaar Pay.
- v) Each acquirer bank will be required to submit their respective reimbursement claims in the format to be laid down.
- vi) Such claim shall be accompanied with a certificate that the share of the MDR charges that is due to the issuer bank and the card network operator have been paid in full and the share of the acquirer bank has been clearly identified.
- vii) For every quarter the acquirer banks should submit a report duly certified by their statutory auditors regarding the volume and value of the debit card/BHIM UPI/Aadhaar Pay transactions (showing on-us and off-us transactions distinctly).
- viii) Along-with the claim, the acquirer banks should submit to the RBI, a certificate from their auditor confirming that with respect to the claim under examination, MDR has neither been charged from the consumer by the merchant nor charged by the bank from the merchant in respect of the applicable low value transactions.
- ix) The Scheme is applicable to banks having operations in India and transactions done in India.
- x) The Committee set up to look into the issues relating to reimbursement of MDR to the acquirer banks with effect from 1.1.2018, has examined the inputs from Indian Banks Association (IBA) and leading acquirer banks and has suggested a cap of 0.40% of value of total debit card transactions less than or equal to Rs. 2000/- with regard to reimbursement of MDR on such low value transactions for a period of one quarter with effect from 1.1.2018. The committee has also recommended that a detailed consultative process for the reimbursement may be worked out.
- xi) Therefore, for a period of one quarter starting from 1.1.2018 there will be a cap on MDR reimbursable to the acquirer banks which will be at 0.40% of the total value of the debit card/BHIM UPI / Aadhaar Pay transactions less than or equal to Rs. 2000. If felt necessary this cap could be revisited thereafter.
- xii) The reimbursement mechanism in respect of such low value transactions would be evolved through a consultative process involving the RBI, IBA and banks. Thereafter, the procedure for quarterly reimbursements of MDR to the Acquirer banks will be worked out and communicated to all concerned.
- 7) The banks are requested to ensure that the transition to this new scheme of MDR reimbursement for low value transactions w.e.f 1.1.2018 is done smoothly without any hitch.

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.02 19:37:35 +05'30'